फा.सं. पी-13013/75/2023-नीति-डीडी-III
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
***

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003
दिनांक: 01 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाओं (रोजगार अथवा पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी) के संचालन के लिए, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को शामिल करते हुए, संशोधित व्यापक दिशानिर्देश।

प्रस्तावना:

ये संशोधित व्यापक दिशानिर्देश इस विषय पर जारी सभी मौजूदा निर्देशों, यानी इस मामले में जारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 29-6/2019- डीडी-III दिनांक 10.08.2022 और कार्यालय ज्ञापन सं. 34-02/2015- डीडी-III दिनांक 08.02.2019 के शुद्धिपत्र सहित कार्यालय ज्ञापन सं. 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018 के अधिक्रमण में जारी किए जा रहे हैं, जहाँ तक ये इन प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाओं (रोजगार या पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी) को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016; सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों; इन विधानों के तहत बनाए गए नियमों और विकास कुमार बनाम यूपीएससी, अवनि प्रकाश बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एवं गुलशन कुमार बनाम आईबीपीएस और अन्य में क्रमशः दिनांक 11.02.2021, 23.11.2021 और 03.02.2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में दिए गए निर्देशों के अनुरूप संरेखित करने से संबंधित है।

इन दिशानिर्देशों की प्रयोजनीयता:

2. ये दिशा-निर्देश **केवल नौकरियों और पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होंगे, न कि नियमित स्कूल (बोर्ड)/कॉलेज/विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परीक्षाओं पर**, जिनके लिए पहले के दिशा-निर्देश यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के का.ज्ञा. संख्या 29-6/2019- डीडी-III दिनांक 10.08.2022 और का.ज्ञा. संख्या 34-02/2015- डीडी-III दिनांक 08.02.2019 के माध्यम से जारी शुद्धिपत्र सहित का.ज्ञा. संख्या 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018, इस मामले में अगले आदेशों तक मान्य रहेंगे।

3. ये दिशानिर्देश दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के तहत दिव्यांगजनों के रूप में परिभाषित सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। हालांकि, लिखित परीक्षा के दौरान सहायता की सुविधा (यानी बाद के पैराग्राफ में निर्धारित किए गए अनुसार सॉफ्टवेयर सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप, रीडर, लैब सहायक या स्क्राइब जैसी तकनीकी सहायता) उन सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जाए, जो अपनी दिव्यांगता के कारण परीक्षा में लिखने में कार्यात्मक समस्याओं का सामना करते हैं, चाहे उनकी दिव्यांगता की प्रकृति या समस्याएं कुछ भी हो। इसमें इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें शारीरिक समस्याओं के कारण लिखने में परेशानी हो रही हो, दृष्टि हानि के कारण पढ़ने या लिखने में परेशानी हो रही हो, बौद्धिक दिव्यांगताओं के कारण उनके समझने या अभिव्यक्ति करने की क्षमता प्रभावित हो रही हो, या कोई अन्य दिव्यांगता शामिल है जो किसी व्यक्ति को परीक्षा प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में उनकी क्षमता को बाधित करती है, परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है।

4. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024 के नियम 5 में केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा, हितधारकों के परामर्श से, परीक्षा के **कंप्यूटर-आधारित परीक्षण मोड** के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश तैयार करने का प्रावधान है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा स्क्राइब के लिए दिशानिर्देश भी शामिल होंगे ।

[*नोटः सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024 में उल्लेख किया गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों का पंजीकरण, केंद्रों का आवंटन, प्रवेश पत्र जारी करना, सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र का खोलना और वितरण, मूल्यांकन और अंतिम सिफारिशें जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी निर्दिष्ट करती है कि एक सीबीटी अभ्यर्थी को अपने रोल नंबर और प्रवेश पत्र के अनुसार उन्हें आवंटित कंप्यूटर टर्मिनल (नोड) के सामने बैठना अपेक्षित है।*]

<u>लिखित परीक्षाओं में दिव्यांगजनों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:</u>

5. परीक्षा का साधन, सहायक यंत्र एवं उपकरण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग में चयन का विकल्प:

क. परीक्षा लिखने में स्वतंत्र माध्यम:

i. परीक्षा निकाय अभ्यर्थियों को सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप, डेस्कटॉप, ब्रेल/बड़े प्रिंट या अपने उत्तरों को रिकॉर्ड करने जैसी तकनीक की सहायता से उन्हें **स्वतंत्र रूप से** (बिना स्क्राइब की सहायता से) परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के लिए व्यापक कवरेज के साथ

संबंधित तकनीकी सामान (यानी, सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप, ब्रेल/बड़े प्रिंट या रिकॉर्डिंग उपकरण) पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएंगे।

ii. जहां नौकरी और शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी या छात्र कंप्यूटर पर स्वतंत्र रूप से काम करें, वहां परीक्षा निकाय दिव्यांग अभ्यर्थियों को लैपटॉप या डेस्कटॉप पर परीक्षा देने का विकल्प प्रदान करेगा, ताकि वे किसी स्क्राइब की **सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से** परीक्षा लिखने में सक्षम हो सके। परीक्षा निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे धीरे-धीरे स्क्राइब की आवश्यकता को कम करें और अभ्यर्थियों को, मामले-दर-मामले के आधार पर उचित व्यवस्था के साथ, अपनी पूरी सामर्थ्य और क्षमता का प्रदर्शन और एहसास करते हुए परीक्षा में भाग लेने में सक्षम बनाएं। विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए पैराग्राफ 5 (ख) में शैक्षणिक/नौकरी की आवश्यकताओं की प्रकृति के आधार पर और, बाद के पैराग्राफ में चर्चा किए गए अनुसार, दिव्यांगजनों के व्यापक और दीर्घकालिक हितों को भी ध्यान में रखकर उनके लिए सहायता निर्धारित की गई है।
[***नोटः*** *नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों के लिए जेएडब्ल्यूएस (जॉब एक्सेस विद स्पीच)/एनवीडीए (नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस), ओआरसीए, बड़े प्रिंट, स्पर्श ग्राफिक्स, आवर्धन(मैग्निफिकेशन) सॉफ्टवेयर आदि जैसे प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप; लोकोमोटर दिव्यांगताओं के लिए वॉइज़ रिकग्निशन सॉफ्टवेयर/हेड-माउस आदि; डिस्लेक्सिया आदि जैसी पढ़ने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच या इसके विपरीत सॉफ्टवेयर, लेटेक्स + टेक्स/मैथ एमएल सामग्री ऐड-ऑन/सॉफ्टवेयर का उचित व्यवस्था के रूप में पता लगाया जाए; इसमें उल्लिखित सॉफ्टवेयर उदाहरणात्मक हैं और यह संपूर्ण नहीं हैं।*]

iii. यूपीएससी, डीओपीटी, एनआरए आदि जैसे जिम्मेदार निकायों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें सामान्यतया एक स्क्राइब का उपयोग करके दिव्यांगजनों द्वारा दी जा रही परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर चिंता व्यक्त की गई है। विशेष रूप से, 'स्वयं का स्क्राइब' के प्रावधान की पहचान, परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भेद्यता के रूप में की गई है। विभिन्न परीक्षा निकायों द्वारा अभ्यर्थियों और उनके द्वारा निजी रूप से प्रबंधित स्क्राइब के बीच मिलीभगत सहित कदाचार के उदाहरण देखे गए हैं, जहां ये स्क्राइब पर्याप्त निर्देश के बिना स्वतंत्र रूप से उत्तर लिखते हैं, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

इस तरह की कार्रवाइयां न केवल समान अवसर के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि उन अभ्यर्थियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने दम पर परीक्षा देते हैं या परीक्षा निकाय के सत्यापित स्क्राइब पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा, शिक्षा और नौकरियों दोनों में, तकनीकी/पेशेवर क्षेत्र-विशिष्ट क्षेत्रों में विकसित विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए, चयनित अभ्यर्थी को किसी विशिष्ट नौकरी या उन्नत शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्लेसमेंट मिलने के बाद स्वतंत्र रूप से काम करना आवश्यक है।

इसलिए, ऐसे सभी मामलों में, जहां स्वतंत्र कार्य क्षमता एक महत्वपूर्ण नौकरी/शैक्षणिक आवश्यकता है, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार परीक्षा की गोपनीयता, अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने की आवश्यकता है, साथ ही परीक्षा में प्रदर्शन को नौकरियों/ सुदृढ़ पेशेवर पाठ्यक्रमों के परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, उम्मीदवारों द्वारा स्वतंत्र रूप से परीक्षा लिखने पर जोर दिया जाएगा।

हालांकि, सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप, ब्रेल/बड़े प्रिंट, या उत्तरों के लिए रिकॉर्डिंग उपकरण जैसी तकनीकी सामान की अनुपलब्धता वाले मामलों में या जहां अभ्यर्थी स्क्राइब का उपयोग करना चाहता है, वहां परीक्षा निकायों द्वारा प्रदान किए गए लेखकों का उपयोग किया जा सकता है, जिनकी कड़ाई से पहचान और निगरानी की जाती है। विभिन्न परीक्षा निकायों को स्क्राइब के एक व्यापक समूह संगठित करने के लिए (यदि पहले से मौजूद नहीं है) 2 साल की गैर-परक्राम्य समय-सीमा (इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तारीख से प्रभावी) प्रदान की जाती है। यह उपाय एकरूपता सुनिश्चित करेगा और इस प्रावधान के दोहन को रोकेगा। "स्वयं का स्क्राइब" प्रावधान को अंतिम उपाय के रूप में, प्रौद्योगिकी के उपयोग का विकल्प नहीं चुनने वाले आवेदकों के लिए "स्क्राइब का समूह" तैयार होने तक, अथवा दो साल के अंतराल तक, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, इनमें से जो भी पहले हो, अनुमति दी जा सकती है।

ख. स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक के संबंध में प्रावधान:

यह उम्मीदवारों को स्वतंत्र रूप से परीक्षा लिखने के लिए प्रोत्साहित करने पर दिए गए व्यापक उद्देश्य को दोहराता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा तकनीक का उपयोग करने से इनकार करने के कारण स्क्राइब की अनुमति दी भी जाती है, तो उसे परीक्षा-निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। स्वयं के स्क्राइब की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब परीक्षा-निकाय उपलब्ध कराने में असमर्थ हो। तथापि, परीक्षा-निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों के जारी होने के अधिकतम 02 वर्षों के भीतर स्क्राइबों का एक व्यापक पैनल बना लें।

परीक्षा निकाय इस आदेश के दो साल पहले भी स्क्राइब प्रदान करने और "अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब" विकल्प को समाप्त करने के प्रावधान पर काम कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने उन अभ्यर्थियों को उचित स्क्राइब प्रदान करें जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बजाय स्क्राइब का विकल्प चुनते हैं। ध्यान दें कि यह निर्णय सम्बंधित परीक्षा निकाय के स्तर पर लिया जाना चाहिए और इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में स्क्राइब और उनकी योग्यता का प्रावधान नीचे निर्धारित किया गया है, जिसका व्यापक उद्देश्य दिव्यांगजनों के व्यापक और स्थायी हितों को बढ़ाना है, जिसमें समावेशी तरीके से राष्ट्र के विकास में उनका योगदान भी शामिल है।

i. **प्रतियोगी (व्यावसायिक/नौकरी से जुड़ी) सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की योग्यता:**

क्र.सं.	परीक्षा की प्रकृति	स्क्राइब की योग्यता
1	आईआईटी-जेईई, नीट, कैट, सीएलएटी, यूजीसी-नेट, गेट, सीयूईटी आदि जैसे स्नातक/स्नातकोत्तर/उच्चतर व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों और समकक्ष प्रतियोगी सार्वजनिक प्रवेश परीक्षाओं में प्रवेश के लिए।	अभ्यर्थियों को सॉफ़्टवेयर-सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप/ब्रेल/लार्ज प्रिंट या रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करके स्वयं परीक्षा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थी तकनीक का उपयोग करने के बजाय स्क्राइब का विकल्प चुनते हैं, परीक्षा निकाय (ईबी) अपने पूल से चुने गए स्क्राइबों को उपलब्ध कराएँगे। परीक्षा निकाय (ईबी) को इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अनुकूल स्क्राइबों का एक व्यापक पूल (यदि पहले से मौजूद नहीं है) तैयार करने के लिए 2 वर्ष की गैर-पराक्रम्य समय सीमा दी गई है। ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थी तकनीक के उपयोग के बजाय स्क्राइब का विकल्प चुनता है, स्क्राइब की योग्यता उस परीक्षा में उपस्थित होने की न्यूनतम योग्यता से कम से कम "दो शैक्षणिक वर्ष कम" और अधिकतम "तीन शैक्षणिक वर्ष कम" होनी चाहिए। (उदाहरण के लिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) में उपस्थित होने के लिए, यदि न्यूनतम योग्यता 12वीं पास या समकक्ष है, तो स्क्राइब की योग्यता 10वीं कक्षा या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन 9वीं कक्षा से कम नहीं। *इसी प्रकार, यदि नेट/गेट में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर/समकक्ष है, तो स्क्राइब अधिकतम स्नातक के अंतिम वर्ष में या उससे कम का हो सकता है (स्नातकोत्तर को 2 वर्ष का कोर्स मानने पर), लेकिन स्नातक के अंतिम वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष से कम नहीं हो।*)
2	केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में भर्ती के लिए प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाएं जैसे यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा, एसएससी परीक्षाएं, एनडीए आदि और समकक्ष	उम्मीदवारों को अपने उत्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप/ब्रेल डिवाइस/लार्ज प्रिंट डिवाइस या रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थी तकनीक का उपयोग करने के बजाय किसी स्क्राइब का विकल्प चुनता है, परीक्षा निकाय अपने समूह से सावधानीपूर्वक चुने गए

		स्क्राइबों को उपलब्ध कराएँगे। परीक्षा निकायों को भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अनुकूल स्क्राइबों का एक व्यापक समूह (यदि पहले से मौजूद नहीं है) तैयार करने के लिए इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी, 2 वर्ष की गैर-पराक्रम्य समय-सीमा दी गई है। ऐसे मामलों में जहां अभ्यर्थी प्रौद्योगिकी के उपयोग के बजाय स्क्राइब का विकल्प चुनता है, स्क्राइब की योग्यता उस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम योग्यता से कम से कम “दो शैक्षणिक वर्ष कम” और अधिकतम “तीन शैक्षणिक वर्ष कम” होनी चाहिए। *(उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है, तो स्क्राइब की योग्यता स्नातक के प्रथम शैक्षणिक वर्ष में हो सकती है (3 वर्ष के स्नातक कोर्स के लिए), लेकिन 12वीं कक्षा से कम नहीं होनी चाहिए)*

ii. अपेक्षित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता न होने या अभ्यर्थी का उनका उपयोग करने में असमर्थता (जैसा कि ऊपर पैरा 5-क में विस्तार से बताया गया है) की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला (लैब) सहायक की सुविधा दी जानी चाहिए।

iii. दृष्टिहीनता, गतिविषयक दिव्यांगता (**केवल** दोनों भुजाओं से) और प्रमस्तिष्क घात की श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजनों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहे तो उसे, **बिना परिशिष्ट-I में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार किसी मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता के**, वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर, स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सुविधा दी जाए।

iv. अन्य सभी विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं, अर्थात् दृष्टिहीनता, गति विषयक दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - **केवल** बीए) और प्रमस्तिष्क घात को छोड़कर, स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सुविधा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के कारण लिखने में कार्यात्मक कठिनाई है और, इसलिए, उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए एक स्क्राइब अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र, इन दिशानिर्देशों के पैरा-3 के अनुसार, किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान

के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा **परिशिष्ट-I** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा परीक्षण के बाद जारी किया जाना है।

[**टिप्पणी**: *उपरोक्त बिंदु (iii) में उल्लिखित प्रमाणीकरण के लिए चिकित्सा प्राधिकरण एक बहु-सदस्यीय प्राधिकरण होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:-*

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.............. अध्यक्ष
2. आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ ....सदस्य
3. कोई अन्य विशेषज्ञ, अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए.................. सदस्य]

v. परीक्षा निकाय परीक्षाओं के अनुसार उपयुक्त स्क्राइबों की पहचान करेगा और उनका एक पैनल बनाएगा।

vi. सीमित मामलों में, जहां अभ्यर्थी को अपना स्वयं का स्क्राइब लाने की अनुमति है, उसे **परिशिष्ट-II** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

vii. अपना स्क्राइब लाते समय, आवेदन के समय परीक्षा निकाय (ईबी) को स्क्राइब का विवरण प्रदान करना होगा। आवेदन प्रारूप में इस घोषणा का प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा, परीक्षा निकाय (ईबी) को आवेदन समाप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए एक समर्पित ईमेल-आईडी या विनिर्दिष्ट आवेदन पोर्टल पर एक समर्पित लिंक प्रदान करना होगा, बशर्ते कि आपात स्थिति में अल्पावधि सूचना (जैसे, एक सप्ताह) पर स्क्राइब में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है ।

viii. स्वयं के स्क्राइब के मामले में, स्क्राइब की पात्रता के संबंध में परीक्षा निकाय द्वारा की जाने वाली कोई भी आपत्ति परीक्षा की तिथि से 30 दिन पहले करनी होगी ताकि अभ्यर्थी अलग स्क्राइब की व्यवस्था कर सके।

ix. यदि कोई छात्र/उम्मीदवार परीक्षा के दिन पूर्व में सूचित किए गए स्क्राइब के अलावा कोई अन्य स्क्राइब लाता है, जिसमें उपरोक्त अल्पावधि सूचना पर स्क्राइब में परिवर्तन भी शामिल हैं, तो परीक्षा निकाय उपलब्धता के अध्यधीन अपने स्वयं के समूह से स्क्राइब उपलब्ध कराएगा। यदि परीक्षा निकाय स्क्राइब उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो वह छात्र/अभ्यर्थी से आवश्यक घोषणाएँ/दस्तावेज लेने के बाद, उस विशेष परीक्षा के लिए इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित योग्यताएँ पूरी करने के अभ्यर्थी द्वारा प्रबंधित स्क्राइब को अनुमति देगा।

x. परीक्षा निकाय द्वारा स्क्राइब की व्यवस्था करते समय, जहाँ तक संभव हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्क्राइब उसी स्ट्रीम/विषय से हो जिस विषय की परीक्षा ली जा रही है। उदाहरण के लिए, विज्ञान या तकनीकी

परीक्षा देने वाले छात्र को स्क्राइब नियुक्त करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्क्राइब गणित, विज्ञान और तकनीकी विषयों के विशिष्ट शब्दों और प्रतीकों से परिचित हो। हालाँकि, भाषा, मानविकी या सामाजिक विज्ञान जैसे सामान्य विषयों या सामान्य सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए क्रॉस-स्ट्रीम स्क्राइबों की अनुमति दी जा सकती है।

xi. स्क्राइब निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए तथा उनमें किसी प्रकार का हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती हो।

xii. स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब से केवल उसी भाषा में संवाद करना होगा, जिसे उन्होंने परीक्षा लिखने के माध्यम के रूप में आवेदन (स्वयं के स्क्राइब का प्रपत्र/ऑनलाइन आवेदन) में चुना है। तद्नुसार, परीक्षा के दौरान प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए उस भाषा की पर्याप्त समझ रखने वाले निरीक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

xiii. जिस स्क्राइब की व्यवस्था की गई है (स्वयं/परीक्षा निकाय द्वारा उपलब्ध कराया गया) वह स्वयं उस परीक्षा का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार उपस्थित हो रहा है।

xiv. "स्वयं स्क्राइब" एक ही परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं करेगा।

xv. ऐसे मामलों में जहां परीक्षा बोर्ड द्वारा स्क्राइब उपलब्ध कराए जाते हैं, उम्मीदवारों को निर्धारित स्थान पर परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले 20 मिनट के संवाद सत्र के लिए स्क्राइब से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

xvi. ऐसे मामलों में जहाँ उम्मीदवार भाषा संबंधी बाधाओं जैसे वैध आधारों पर स्क्राइब बदलने का अनुरोध करते हैं, वे स्क्राइब बदलने के लिए परीक्षा निकाय को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। परीक्षा निकाय (परीक्षा निकाय (ईबी)) द्वारा केवल ऐसे एक अनुरोध पर ही विचार किया जाएगा, और अनुरोध की स्वीकृति परीक्षा की तिथि पर किसी अन्य स्क्राइब की उपलब्धता या अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करेगी।

xvii. परीक्षा निकाय दिव्यांग उम्मीदवारों और उनके स्क्राइबों के लिए विशिष्ट स्थान निर्धारित कर सकता है (परीक्षा के दौरान किसी भी आपातस्थिति के लिए अतिरिक्त संख्या में स्क्राइब उपलब्ध रहेंगे), जहां परीक्षा निकाय सीसीटीवी, प्रशिक्षित निरीक्षकों आदि के संदर्भ में अधिक निवेश कर सकता है।

xviii. उम्मीदवारों को अलग-अलग पेपर लिखने के लिए एक से अधिक स्क्राइब/पाठक (रीडर) ले जाने की भी अनुमति होनी चाहिए। हालाँकि, प्रत्येक विषय के लिए केवल एक ही स्क्राइब हो सकता है।

xix. परीक्षा निकाय प्रारंभिक विज्ञापन की तिथि से लेकर संबंधित परीक्षा के समापन तक स्क्राइब का विवरण या किसी अन्य सुगम्यता संबंधी आवश्यकताओं/उचित व्यवस्था की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

प्रतिपूरक समय:

6. प्रतिपूरक समय की उपलब्धता इस प्रकार है:

i. इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट और निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित, लेखन में कार्यात्मक सीमाओं वाले दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम का "प्रतिपूरक समय" नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वे स्क्राइब/पाठक/परीक्षा-निकाय की सेवाओं का उपयोग कर रहे हों या नहीं।

ii. यदि परीक्षा की अवधि एक घंटे से कम है, तो प्रतिपूरक समय की अवधि आनुपातिक आधार पर एक घंटे के अंश के आधार पर दी जानी चाहिए।

सुगम्य परीक्षा केंद्र:

7. परीक्षा केंद्रों में बाधा-मुक्त प्रवेश और मार्गदर्शन सुनिश्चित होना चाहिए, जिसमें रैंप, लिफ्ट, चौड़े गलियारे और दरवाजे, संकेत और दिशा-निर्देश, दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए ध्वनि-घोषणाएँ, बैठने की सुगम्य व्यवस्था, अधिमानतः भूतल पर, आदि शामिल हों। परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को दिव्यांगता शिष्टाचार और सहायक तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी/प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आपात स्थिति के लिए केंद्र में चिकित्साकर्मी उपलब्ध होने चाहिए।

8. जहां तक संभव हो, एसएलडी/न्यूरोडाइवर्स/दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले उम्मीदवारों के लिए एक अलग परीक्षा कक्ष और एक शांत स्थान की व्यवस्था की जा सकती है।

विविधः

9. जांच निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ और व्यवस्थाएं नीचे दी गई हैं:

(क) यदि कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने के बाद घटित किसी घटना के कारण दिव्यांगता की रिपोर्ट करता है, तो उन्हें परिशिष्ट I के अनुसार दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद इन दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट उचित समायोजन की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) अब निरस्त हो चुके दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को पूरे देश में स्वीकार किया जाना चाहिए।

(ग) परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय, ऐसी परीक्षाओं के प्रारंभ की अधिसूचना देते समय, परीक्षा से संबंधित मुद्दों के संबंध में दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा की गई शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित शिकायत समाधान प्रणाली की घोषणा करेंगे।

(घ) परीक्षा निकाय अपने स्क्राइबों के समूह के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन कार्यक्रम स्थापित करेंगे ताकि उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और इस समूह में शामिल स्क्राइबों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
(च) परीक्षा निकाय को परीक्षार्थियों द्वारा फीडबैक प्रणाली शुरू करनी है, ताकि पूल (समूह) में स्क्राइबों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

(छ) परीक्षा निकाय सभी निरीक्षकों, परीक्षा केंद्रों को संभालने वाले अधिकारियों, उम्मीदवारों के प्रश्नों के समाधान में शामिल व्यक्तियों और शिकायत निवारण अधिकारियों का समय-समय पर संवेदीकरण करेंगे। यह संवेदीकरण सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा।

(ज) निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी/अधिकारियों, जो इन दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं और ऐसे दिशानिर्देश बनाते हैं जो दिव्यांगजनों को शामिल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ उचित प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(झ) सभी परीक्षा निकाय/भर्ती निकाय उम्मीदवारों के व्यक्तिगत, चिकित्सा और दिव्यांगता-संबंधी डेटा, जो केवल परीक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए एकत्र किया जाता है, की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। डेटा को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में सुरक्षित रूप से संग्रहित, एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए और केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा ही एक्सेस किया जाना चाहिए।

10. परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी को अभ्यर्थी/स्क्राइब द्वारा किसी भी प्रकार का अनाचार पाए जाने पर, जैसा उचित समझा जाए, आवश्यक कार्रवाई करने/दंड लगाने का अधिकार होगा।

121

11. परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों को दिव्यांगजनों से संबंधित लिखित परीक्षाएँ आयोजित करते समय इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। सभी संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे आवधिक सर्वेक्षण/सत्यापन के माध्यम से इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इनका एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारियों को अपने मौजूदा दिशानिर्देशों का निरीक्षण करना होगा और इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से 03 महीने की अवधि के भीतर इन दिशानिर्देशों के अनुरूप उन्हें पुनः अधिसूचित करना होगा।

12. ये दिशानिर्देश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

BJee
01 Aug 2025

(देबाला भट्टाचार्जी)
अवर सचिव, भारत सरकार
(ईमेल: debala.joarder@gov.in)

सेवा में
1. सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग, मानक सूची के अनुसार
2. अध्यक्ष, यूपीएससी, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, एसएससी, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय।
6. अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, पहली मंजिल, एनएसआईसी-एमडीबीपी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली 110020
7. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय संस्थान और आरसीआई।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
1.मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली
2. निदेशक, आईटी सेल, डीईपीडब्ल्यूडी को अनुरोध के साथ कि दिशानिर्देशों (अंग्रेजी और हिंदी) को डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर लिंक https://depwd.gov.in/guidelines-2/ पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

121

परिशिष्ट-I

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) के तहत परिभाषित दिव्यांगजनों के लिए स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सिफारिश के लिए प्रमाण पत्र और दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट लिखित सीमाएं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती .... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री ...., निवासी ....(गाँव/डाकघर/थाना/ज़िला/राज्य), आयु ....वर्ष, ...(दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त व्यक्ति की जाँच की है और यह बताया जाता है कि उनकी उपरोक्त दिव्यांगता/स्थिति के कारण उनकी लेखन क्षमता में बाधा आ रही है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार स्क्राइब/पाठक/प्रयोगशाला सहायक/और/या प्रतिपूरक समय की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण और सहायक यंत्रों जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए)/अन्य (निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह ....(अधिकतम एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए वैध है, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित
स्थान
दिनांक

परिशिष्ट-II

दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं के दौरान स्क्राईब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) के तहत परिभाषित दिव्यांगजनों द्वारा वचन पत्र।

मैं _______________ (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) _________________ अभ्यर्थी हूँ और मेरा रोल नंबर_________________ (परीक्षा का नाम) __________________है।_______________जिले में (केंद्र का नाम), _______________ (राज्य का नाम) _______________। मेरी शैक्षणिक योग्यता_______________है।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए ---------------------------(स्क्राइब का नाम) अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब / रीडर / प्रयोगशाला सहायक के रूप में सेवा उपलब्ध कराएगा. /कराएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि किसी प्रकार का हितों का टकराव नहीं है, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती हो ।

3. मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता______________________है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यथा घोषित अनुसार नहीं है और मौजूदा दिशानिर्देशों में उल्लिखित परीक्षा के लिए निर्दिष्ट योग्यता से परे है, तो मैं जिस पद/शैक्षणिक सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं, उस पर अपना अधिकार तथा उससे संबंधित दावे खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)
(यदि अभ्यर्थी नाबालिग है तो माता-पिता/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)
स्थान:
दिनांक:

121